UPBJ010000172014

न्यायालय, अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।

सिविल अपील सं0 82/2014

अखिलेश चंद बनाम हरिश्चन्द

आदेश

दिनांक 19–09–2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थनापत्र ग–255 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र ग–255 प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अभिलेखो को अपील में शामिल किए जाने हेतु इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह अपील विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध योजित की थी, जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से अपील की सुनवाई को विलम्बित करने के उद्देश्य से एक जाली, फर्जी वसीयत दौरान अपील तैयार कराकर, प्रस्तुत की थी। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में अपीलार्थी/प्रतिवादी लगातार गवाही को टालता चला आ रहा था तथा कई वर्षो तक अपील में अपीलार्थी की गवाही चली आ रही थी। केवल पिछली तीन–चार तिथियों से अपीलार्थीगण का गवाही का अवसर समाप्त हो जाने पर, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा दि0 01.03.2024 को अपीलार्थीगण की ओर से शेष बहस पूर्ण की गई और दि0 12.03.2024 वास्ते बहस प्रतिउत्तरदातागण नियत हुई। उक्त तिथि पर प्रतिउत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र गुजारना पड़ा और दि० 15.03.2024 को भी प्रतिउत्तरदाता के अधिवक्ता बाहर थे। इस वास्ते 22.03.2024 वास्ते बहस प्रतिउत्तरदाता हेतू नियत की गई। अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य बहस यह कि गई कि श्रीमती चन्द्रकान्ता विधवा कुँवर हरिश्चन्द्र एंव श्रीमती रामकली विधवा कुँवर हरिश्चन्द्र के मध्य कोठी का बटॅवारा नहीं हुआ और प्रतिउत्तरदाता स्कूल को किया गया हिबैनाम (उपहारपत्र) अवैध व अनाधिकृत है और प्रतिउत्तरदाता का कोठी के उत्तरी हिस्से पर कब्जा नहीं हुआ और अपीलार्थीगण मालिक काबिज हैं। इस बिन्दू पर दि० 12.03.2024 की शाम को प्रतिउत्तारदाता स्कूल के प्रबंधक आदि के साथ तैयारी करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्रीमती रामकली ने श्रीमती चन्द्रकान्ता से तकसीम बाहमी से प्राप्त दक्षिणी हिस्से में से दक्षिणी–पश्चिमी हिस्से का बैनामा सन् 1969 में श्यामलाल पुत्र लाला रामस्वरूप को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय किया था और अब उस भाग पर श्यामलाल के वारिसान आदि रह रहे है तथा शेष दक्षिणी–पूरबी भाग पर

अपीलार्थीगण काबिज हैं। तब प्रतिउत्तरदाता के अधिवक्ता ने, उक्त विक्रय पत्र का पता लगाकर, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि लाने के लिये प्रतिउत्तरदाता स्कूल की प्रबंध समिति के प्रबन्धक/अध्यक्ष से कहा तथा इसी सिलसिले में प्रतिउत्तरदाता स्कूल के वर्तमान पदाधिकारियों ने अपने कागजात तलाश किये, तब उन्हें उक्त बैनामे की तिथि का पता चलने पर, दि० 13.03.2024 को उप–निबंधक कार्यालय में निरीक्षण कराकर, नकल का सवाल डलवाया और विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि उप–निबंधक कार्यालय, बिजनौर के अभिलेखागार से प्राप्त की तथा कॉलेज के कागजात में भी सघन तलाश करने पर प्रतिउत्तरदाता के स्कूल के लिपिक आदि द्वारा पुराने कागजात में न्यायालय मुन्सफी नगीना में चले मूलवाद सं0 131 सन् 1963, श्रीमती रामकली बनाम श्रीमती चन्द्रकान्ता आदि की कच्ची प्रतिलिपि मिली, जिसको लेकर प्रतिउत्तरदाता स्कूल की प्रबन्ध समिति के वर्तमान प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारी दि0 18.03.2024 को अपने अधिवक्ता के बस्ते पर आये, तब व्यवहार अभिलेखागार, बिजनौर में मूलवाद सं0 131 सन् 1963 को दिखलाया और दि0 19.03.2024 को सत्यापित प्रतिलिपियों वादपत्र आदि लेने के लिए सवाल नकल डलवाया और पत्रावली से वादपत्र मय नक्शा व आदेश दि0 04.04.1963 व समझौता डिक्री मय नक्शा दि0 09.04.1963 की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कीं, जिनको प्राप्त करने पर व पढ़ने व पढ़वाने पर यह पता चला की श्रीमती चन्द्रकान्ता व श्रीमती रामकली के मध्य कोठी व हवेली, जिसका उत्तरी आधा भाग श्रीमती चन्द्रकान्ता को, श्रीमती रामकली से आपसी विभाजन से मिल गया था, को स्वीकार करते हुए एवं प्रतिवादनी सं0 1 द्वारा प्रतिउत्तरदाता स्कूल के पक्ष में पंजीकृत हिबैनामा (उपहारपत्र) दि0 06.10.1960, को स्व० श्रीमती चन्द्रकान्ता द्वारा निष्पादित कराया जाना मानते हुए, प्रतिउत्तरदाता स्कूल को मालिक होना माना था और उक्त मूलवाद के वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में, कोठी व हवेली का पीला उत्तरी भाग श्रीमती चन्द्रकान्ता, मैनेजर, स्कूल हरिश्चन्द्र हायर सैकेण्डरी स्कूल कासमपुर गढ़ी मानते हुए तथा दक्षिणी अपना हिस्सा बरंग गुलाबी मानते हुए, स्व0 श्रीमती रामकली देवी ने वादपत्र से नक्शा संलग्न किया था और बटवारे को स्वीकार किया था। उक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदाता स्कूल, जो वर्तमान में इण्टर कॉलेज है की सम्पत्ति वादग्रस्त सम्पत्ति है और अपीलार्थीगण का प्रतिउत्तरदाता की हिबैनामे (उपहारपत्र) से प्राप्त सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है तथा श्रीमती रामकली देवी द्वारा कोठी, हवेली का दक्षिणी भाग मानते हुए उसमें से दक्षिणी–पश्चिमी भाग दि0 23.06.1969 को पंजीकृत विक्रयपत्र से विक्रय किया गया था। वाद योजित करते समय तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, प्रतिउत्तरदाता स्कूल श्री बेगराज सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह को यह ज्ञात नहीं हो सका था, कि इस कोठी हवेली के सम्बन्ध में कोई मूलवाद मुन्सफी नगीना में वर्ष 1963 में श्रीमती रामकली एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता व स्कूल के मध्य चला तथा श्रीमती रामकली ने अपना आपसी विभाजन से दक्षिणी हिस्सा मानते हुए, उक्त हिस्से का दक्षिणी–पश्चिमी भाग सन्

1969 में श्यामलाल को विक्रय किया। वाद योजित करते समय अत्याधिक जल्दी थी और अपीलार्थीगण स्थानीय प्रशासन व पुलिस बल की सहायता से प्रतिउत्तरदाता स्कूल की सम्पत्ति पर जबरदस्ती और अति शीघ्र कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए जल्दी वाद योजित कर दिया गया था तथा वाद लम्बन के दौरान भी प्रतिउत्तरदाता स्कूल की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों को इस मूलवाद सं0 131 सन् 1963 एवं विक्रय पत्र सन् 1969 का कोई ज्ञान नहीं हो सका और इसी कारणवश उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। अपील लम्बन के दौरान भी अपीलार्थीगण द्वारा अपील की सुनवाई को येन–केन–प्रकारेण टाल थे रहे थे तथा अन्तिम बहस के समय ही तैयारी के समय उक्त मूलवाद के चलते स्व0 श्रीमती रामकली देवी द्वारा अपने दक्षिणी भाग में से दक्षिणी–पश्चिमी हिस्से को सन् 1969 में विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर देने का ज्ञान होने पर सभी दस्तावेजों की हाल ही में सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्राप्त की गई हैं, जो इस अपील के सही प्रकार से न्याय–निर्णयन एवं अपील का निर्णय सुनाने में अपीलीय न्यायालय के समर्थ होने के लिए और सारवान हेतुक के लिए बहस पूर्ण होने से पूर्व पत्रावली पर लिये जाने, न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अपीलार्थी की ओर से आपत्ति ग–263 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कानूनन व्यय सहित निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधार आदेश 41 नियम 27 की श्रेणी में नही आते है। रैस्पा0 का उल्लेखित करना कि मूलवाद जल्दी में दायर किया गया, इस कारण उस समय उक्त दस्तावेज दाखिल न हो सके, न केवल गलत एंव झूॅठ है बल्कि हास्यास्पद है। मूलवाद वर्ष 1995 में अर्थात अब से 29 वर्ष पूर्व दायर किया गया और मूलवाद दायर किये जाने के पश्चात 29 वर्षो तक वादी की जल्दी की सीमा समाप्त नहीं हुई कोई आधार उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने का नहीं है। रैस्पा0 द्वारा प्रार्थना पत्र में तथ्यहीन आरोप अपीलांट के अपील को टालते रहने के सम्बंध में लगाये है जबकि पूर्व में लगातार रैस्पा0 द्वारा विलम्ब किया जाता रहा यहां तक कि अपील में संशोधन के पश्चात रैस्पा0 द्वारा दाखिल रैपलीकेशन विलम्ब के आधार पर न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया और लम्बे समय से अपीलांट के अतिरिक्त साक्ष्य शपथ पत्र क–77 जो दि0 28–10–2016 को प्रस्तुत किया गया था, पर दि 05–04–2023 को अर्थात 7 वर्ष के पश्चात रैस्पा0 द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी जो अपील में रैस्पा0 द्वारा किये गये विलम्ब को साफ जाहिर करती है। इसके विपरीत तमाम कथन प्रार्थना पत्र गलत है तथा अपीलांट पर लगाये गये उक्त आरोप प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। रैस्पोन्डैन्ट को विगत 29 वर्षो मे उक्त दस्तावेज क्यों दाखिल नहीं किये गये, का कोई कारण नही दिया गया। मूलवाद 136/95 स्वयं हरीशचन्द मैमोरियल जूनियर हाई स्कूल की ओर से दायर किया गया और जिन

दस्तावेजो को अर्थात वाद सं० 131/1963 के वादपत्र एंव अन्य दस्तावेजो को वादी रैस्पोन्डैन्ट द्वारा दाखिल किये जाने की याचना की गयी है। उक्त वाद में वादी रैस्पोन्डैन्ट स्वयं प्रतिवादी सं0 2 था, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज आरम्भ से ही वादी रैस्पोन्डैन्ट की जानकारी में थे और उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादी रैस्पा0 द्वारा उक्त वाद में भाग लिया एंव समझौते आदि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल करने की याचना की गयी है। मूलवाद वर्ष 1995 में दायर होने के पश्चात वर्ष 2014 में निर्णीत हुआ अर्थात 19 वर्ष विचारण न्यायालय में लम्बित रहा इस मध्य वादी रैस्पा० द्वारा उक्त दस्तावेज क्यों दाखिल नहीं किये इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही है। अपीलांट के बहस करने पर विचारण न्यायालय के निर्णय में त्रुटि दर्शाये जाने से एंव उक्त बहस के आधार पर वादी रैस्पा0 द्वारा उक्त दस्तावेजो को तलाश करने एंव नकले आदि प्राप्त करने से कोई प्रभाव अपील में दस्तावेज दाखिल करने के प्रार्थना पत्र पर नहीं पडता, क्योंकि अपीलांट का विचारण न्यायालय के अभिवचनों साक्ष्य एंव निर्णय में त्रुटि न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने का अधिकार प्राप्त है। रैस्पा0 का कथन कि दि० 12–03–2024 को अपील में बहस तैयार किये जाते समय उक्त तथ्य प्रकाश में आये एकदम गलत है और उसके आधार पर दस्तावेज तलाश कराये जाने के समस्त कथन भी गलत व आधारहीन है। वादी अपीलांट द्वारा अपने अभिवचनो में भी उक्त तथ्यो का जिसके सम्बंध में दस्तावेज दाखिल किये जाने की प्रार्थना की है, कोई उल्लेख नहीं किया। रैस्पा० का कथन कि उन्हे मूलवाद सं0 131/63 का कोई ज्ञान पूर्व में नहीं हो सका एकदम गलत है। उक्त मूलवाद में वादी रैस्पा0 प्रतिवादी सं0 2 था। ऐसी स्थिति में मूलवाद का ज्ञान न होने का प्रश्न पैदा नही होता। दस्तावेज अपील में विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपने अभिवचनो एंव साक्ष्य का लैकुना फिलअप करने के लिए प्रस्तुत किये है और वादी को आदेश 41 नियम 27 के अर्न्तगत दस्तावेज दाखिल कर लैकूना फिलअप करने की अनुमति नही दी जा सकती। प्रार्थना पत्र में कोई आधार ऐसा उल्लेखित नही किया है जो आदेश 41 नियम 27 की श्रेणी में आता हो। प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। उक्त अपील विगत 10 वर्षों से लम्बित है और रैस्पा0. जानबूझकर अपील की कार्यवाही विलम्बित कर रहा है तथा गलत तौर पर अपीलांट पर विलम्ब का दोषारोपण कर उक्त दस्तावेज दाखिल करने में हुए 29 साल के विलम्ब को न्यायोचित ठहराना चाहता है। दौरान अपील आदेश 41 नियम 27 के आधारो पर ही दस्तावेज स्वीकार किये जा सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में नही आता प्रार्थना पत्र आधारहीन है और व्यय सहित निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति ग–263 के विरूद्व प्रत्यर्थी की ओर से प्रति आपत्ति ग–265 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी ने प्रतिउत्तरदाता के प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर गलत, अनावश्यक रूप से अत्यधिक लम्बी, आधारहीन, आपत्तियॉ की है, जिन्हें अस्वीकार

करते हुए प्रतिउत्तरदाता का प्रार्थनापत्र ग–255 स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रतिउत्तरदाता का प्रार्थनापत्र एवं उसके लिए गए सत्य आधार पूर्ण रूप से आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों की श्रेणी में आते है। इसके विपरीत आपत्ति गलत है। प्रार्थनापत्र ग–255 से संलग्न दस्तावेजो का ज्ञान यदि वास्तव में प्रतिउत्तरदाता को विचारण न्यायालय में वाद योजित करते समय या अपील के लम्बन के दौरान होता, तो ये कदापि संभव नहीं था कि उक्त दस्तावेज को विचारण न्यायालय में अथवा अपील के पहले से प्रस्तुत ना किए जाते। प्रार्थनापत्र पूर्ण रूप से सदभावी एवं सही है। तृतीय पक्ष द्वारा किए गए बैनामें व दावे का यदि कोई ज्ञान वाद लम्बन एवं अपील के चलते पहले से होता तो विचारण न्यायालय के निर्णय में त्रुटि दिखाये जाने व बहस के आधार पर दस्तावेजो को तलाशने एवं नकले हासिल करने के आधार पर कागजात प्रस्तुत करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुंत नहीं किया गया बल्कि प्रार्थनापत्र देने से पूर्व ही कागजात तलाशने एवं बैनामें का पता लगने पर ही नकले हाल ही में प्राप्त हाने के आधार पर ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। इन तथ्यो के आधार पर आपत्ति निरस्त की जाकर प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए संलग्न दस्तावेज पत्रावली पर समावेशित किए जाने की याचना की गई है।

मैंने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र श्रीमती रामकली व श्रीमती चन्द्रकांता के मध्य मुंसफी नगीना में चले मूलवाद संख्या 131/1963 से संबंधित वादपत्र, नक्शा, आदेश दिनॉक 04.04.1963 व समझौता डिक्री मय नक्शा दिनॉकित 09.04.1963 की प्रतिलिपि तथा श्रीमती रामकली द्वारा श्यामलाल को दक्षिण पश्चिम हिस्से के बैनामें की प्रति दाखिल करने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा यह कहा गया है कि वे उपरोक्त प्रपत्र इस स्तर पर इसलिए दाखिल कर रहे है क्योंकि पूर्व में स्कूल का प्रबन्धन व पदाधिकारी बदलते रहने के कारण उन्हें उपरोक्त वाद व बैनामें का ज्ञान दौरान वाद या दौरान अपील नहीं हो सका तथा बहस के दौरान उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आने पर उपरोक्त प्रपत्रो के संबंध में जानकारी उन्हें प्राप्त हुई व उनके द्वारा अविलम्ब इस मामले के गुण–दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन हेतु यह प्रपत्र दाखिल किए जा रहे है जो कि न्यायालय के संज्ञान में आने आवश्यक है। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा विरोध यह कहते हुए किया गया है कि उपरोक्त प्रपत्र प्रत्यर्थी की जानकारी में शुरूआत से थे तथा वाद सं0 131/1963 में प्रत्यर्थी भी एक पक्षकार था। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उपरोक्त प्रपत्र प्रत्यर्थी की जानकारी में न रहे हो। बहस के दौरान आये तथ्यो का लैकुना भरने के लिए इस स्तर पर प्रत्यर्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा दौरान वाद व दौरान अपील इतने लम्बे समय तक उपरोक्त प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए।

यह सही है कि अपील के दौरान किसी भी कमी को पूरा करने के

लिए अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल नहीं किया जा सकता परन्तु यह भी सुस्थापित विधि है कि अतिरिक्त साक्ष्य दौरान अपील दाखिल किया जा सकता है यदि अतिरिक्त साक्ष्य अपील के गुण–दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक हो, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मलयालम प्लॉटेंशन्स लि0 बनाम केरल राज्य ए आई आर 2011 एस0सी0 559** में प्रतिपादित किया है। प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र से जिन प्रपत्रो को दाखिल करने की याचना की गई है, वह इस अपील में विवादित विन्दुओ के गुण–दोष पर निस्तारित किए जाने हेतु पत्रावली पर लिए जाने आवश्यक है। जहॉ तक विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न तो इस संबंध में प्रत्यर्थी पर हर्जा अधिरोपित किया जा सकता है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/प्रत्यर्थी का प्रार्थनापत्र ग–255 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ग–255 अंकन 2000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद भुगतान हर्जा प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रपत्र पत्रावली पर लिए जाए। पत्रावली वास्ते बहस दिनॉक 04–10–2024 को पेश हो।

दिनांकः 19–09–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2024.09.19 15:37:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court